

मसालों और मसाला उत्पाद परेषित माल के नौभरण से पहले नमूनाकरण और कंटेनर भराव के पर्यवेक्षण के लिए कस्टम बोली

कस्टम बोली सं.प्रशासन-विविध/0008/2023 दिनांक 05 अगस्त 2024

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास,
पालारिवट्टम. पी. ओ, कोच्ची-682025
केरल, भारत

1. परिचय:

स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत किया गया है और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह बोर्ड 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन और इलायची(छोटी और बड़ी) के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने भारत से निर्यात मसाला और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए और मसाला क्षेत्र के हितधारकों जैसे निर्यातकों, व्यापारियों, किसानों, अनुसंधान संगठनों आदि को विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख बंदरगाह शहरों में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसालों और मसाला उत्पादों जैसे मिर्च, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, मेथि, अदरक, जायफल और जावित्रि, करी पत्ता, बड़ी एवं छोटी इलायची और साबुत एवं पिसे हुए रूप में (तेल और तैलीराल को छोड़कर) इन मसालों से युक्त यौगिक खाद्य, जो मसालों के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा भारत से विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है, उनका अनिवार्य परीक्षण किया है।

2. कस्टम बोली

कस्टम बोली आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के साथ प्रतिष्ठित नमूना अभिकरणों से आमंत्रित की जाती है और अधिमानतः जिसके पास आईएसओ/आईईसी 17025:2017 (खंड सं. 7.3, नमूनाकरण सहित) द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ होती हैं। अभिकरण को इस कस्टम बोली सूचना पत्र में दी गई नमूना प्रक्रिया और निबंधन एवं शर्तों के अनुसार क्षेत्र अ (केरल, तमिलनाडु, पोंडिचेरी और कर्नाटक) में मसालों की निर्यात परेषित माल के नौभरण से पहले नमूनाकरण एवं कंटेनर स्टफिंग के पर्यवेक्षण का काम लेना होगा।

3. कस्टम बोली का क्षेत्र

3.1 नमूनाकरण और भराव गतिविधि

- 3.1.1 निर्यातक मसाला बोर्ड के ऑनलाइन निर्यातक समर्थन प्रणाली (ईएसएस) (<https://www.indianspices.org.in/ESS>) के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विवरण के साथ नौभरण के बंदरगाह से बोर्ड के निकटतम कार्यालय में नमूनाकरण/भराव सूचना भेजेंगे। कार्यालय का नमूना प्राप्ति डेस्क (एसआरडी) निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों को संसाधित करेगा और ईएसएस के माध्यम से क्षेत्र के अभिकरण/अभिकरणों को काम आवंटित करेगा। एक सूचना में कई वस्तुएँ हो सकती हैं।

- 3.1.2 वर्तमान में मिर्च और इसके संबंधित उत्पादों, करी पाउडर, मसाला, करी पेस्ट आदि, हल्दी, हल्दी पाउडर, जायफल और जायफल उत्पाद, जावित्रि, अदरक, करी पत्ते, छोटी एवं बड़ी इलायची, काली मिर्च, मेथि और जीरा ऐसी उत्पाद हैं जिनका रासायनिक मानकों जैसे एफ्लाटाॉक्सिन, सूडान I-IV रंग, कीटनाशक अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड, और भैतिक मानकों जैसे अन्य बीज/बाहरी पदार्थों आदि के लिए अनिवार्य परीक्षण किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान धारा में, संयुक्त राज्य अमरिका को निर्यात किए जाने वाले करी पेस्ट सहित मिर्च और मिर्च उत्पादों, साबुत/पिसा हुआ जीरा और मसालों के सभी मिश्रित रूपों में सालमोनेला के लिए अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण शामिल है।
- 3.1.3 निर्यातकों से ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने पर, बोर्ड नमूनाकरण/भराव कार्य ईएसएस के द्वारा इस कस्टम बोली के माध्यम से चयनित प्राधिकृत अभिकरणों को सौंप देगे। एक सूचना में विविध लॉट संख्या के साथ कई वस्तुएँ हो सकते हैं।
- 3.1.4 ऑनलाइन सूचना के आधार पर, सौंपे गए काम को स्वीकार किया जाना चाहिए और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट स्थान, तिथि एवं समय पर इस कस्टम बोली में बिंदु 3.1.5 में निर्दिष्ट स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पालन किया जाने वाला, नमूना लेने के मानदंडों के अनुसार, भौतिक रूप से नमूना तैयार करके लिया जाना चाहिए। नमूनाकरण या कंटेनर भराव के लिए सौंपे गए कार्य में आगे बढ़ने से पहले, अधिकृत सर्वेक्षणकर्ता को किसी भी अनुपयोगी दौरा से बचने के लिए निर्यातकों के साथ नमूनाकरण/भराव की जगह और समय की पुष्टि करनी है। अभिकरण अनुपयोगी दौरा के लिए दावा नहीं कर सकती है।
- 3.1.5 सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा नमूनाकरण कार्य निम्नलिखित तरीकों से किया जाना चाहिए:
- क) खाद्य पदार्थों में मैकोटोक्सिन की मात्रा में आधिकारिक नियंत्रण के लिए 23 फरवरी 2006 का यूरोपीय संघ नमूनाकरण विनियमन ईसी सं.401/2006 और यूरोपीय संघ और यू.के. को परेष्ठित माल में कीटनाशक अवशेषों के लिए आयोग निर्देश 2002/63/ईसी।
 - ख) संयुक्त राज्य अमरिका में सालमोनेला विश्लेषण हेतु परेष्ठित माल के लिए यूएसएफडीए बीएएम अध्याय 1
 - ग) सभी अन्य देशों में परेष्ठित माल के लिए आईएसओ 948:1980।
- 3.1.6 नमूना अभिकरण को सर्वेक्षणकर्ताओं को नमूने लेने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे कि स्कूप, स्मॉल संतुलन, चाकू, पॉलिथीन शीट, पेपर टैग/सेल्फ एडहेसिव लेबल, फर्म के नाम के साथ स्टैरैल कंटेनर/बेक, धागा, टेप, एंटी-स्टैम्पर सील, स्मार्ट फोन, आदि और ग्लाउस, सेफ्टी जूते, चश्मा, मास्क, हेट कवर आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करनी चाहिए। सभी नमूनाकरण कर्मियों के लिए यह अनिवार्य है कि जब वे काम पर हो तो अपनी संबंधित नमूनाकरण अभिकरणों द्वारा जारी किए गए आईडी कार्ड पहने।

- 3.1.7 नमूनाकरण से पहले, सर्वेक्षणकर्ता को सूचना एवं पुष्टि के आधार पर लेबल में परेषित माल के विवरण जैसे उत्पाद नाम, लॉट संख्या, बैच संख्या, पैकेज की संख्या, निवल मात्रा आदि की जांच करना है। यदि उक्त विवरण में कोई बदलाव देखा जाता है, तो वह मामला तुरंत ही संबंधित नमूना प्राप्ति डेस्क/प्रादेशिक कार्यालय को सूचित किया जाएगा और नमूना लेने के लिए संबंधित प्रादेशिक अधिकारी की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
- 3.1.8 प्लास्टिक के बजाय नमूने एकत्र करने के लिए जैव-अपघटनीय पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। नमूना अक्षुण्ण और कीटाणुरहित रूप में भेजने का ध्यान रखना चाहिए। नमूनाकरण रिपोर्ट के साथ नमूनाकरण अभिकरण के सीलबंद मुद्रित कवर में प्राप्त किए गए नमूने को स्पाईसेस बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/नमूना प्राप्ति डेस्क (एसआरडी) को सौंपना चाहिए। सौंपे जाने वाले नमूनों का विवरण उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे तक देखा जा सकता है। नमूना पैकेट पर नमूना अभिकरण का नाम होना चाहिए।
- 3.1.9 सालमोनेला विश्लेषण के लिए नमूनों को कीटाणुमुक्त नमूना बैग में कीटाणुरहित रूप से पैक किया जाएगा और सर्वेक्षणकर्ता के मुद्रित कवर में रखने से पहले सीलबंद किया जाएगा। ईटीओ परीक्षण के लिए लिए गए नमूने का क्राँस संतृषण से बचने के लिए बोर्ड द्वारा सुझाए गए एल्यूमीनियम फॉयल कवर या किसी अन्य पैकिंग सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नमूने का प्रत्येक सेट (उत्पाद के अनुसार) को फुड ग्रेड पॉलिथीन कवर में पैक किया जाना चाहिए। सभी ईटीओ नमूना को अलग-अलग बैग में ले जाना चाहिए।
- 3.1.10 नमूनाकरण के बाद, सर्वेक्षणकर्ता को धागा/टेप और टैग का उपयोग करके निर्यात परेषित माल से नमूनीकृत लॉट को स्टैक और सील करना है। नमूनाकरण के लिए खुले गए थैले को 'नमूनीकृत थैले' का लेबल लगाया जाएगा। लॉट के स्टैक दिखाने वाली तस्वीर को उपयुक्त प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निर्दिष्ट नमूना प्राप्ति डेस्क (एसआरडी)/संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्यात परेषित माल भरते समय अभिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टैक और सील अक्षुण्ण रहे।
- 3.1.11 विभिन्न क्षेत्रों से दो साल के लिए नमूने की अनुमानित संख्या तालिका : 1 में दी गई है।

क्रम सं.	क्षेत्र	दो साल के लिए नमूनों की संख्या
1	केरल	60,000
2	तमिल नाडू व पुदुच्चेरी	70,000
3	कर्नाटक	4,000

ध्यान दे: ऊपर उल्लिखित नमूनों की संख्या भिन्न हो सकती है।

- 3.1.12 बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट चयनित देशों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, सीमा पार क्षेत्रों में परिवहन किए गए परेषित माल ट्रकों/कंटोनों से नमूना लिया जाना चाहिए और स्पाइसेस बोर्ड प्राधिकारियों द्वारा नमूना ग्रहण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विवरण ईएसएस में अद्यतन किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी नमूना ग्रहण प्रमाणपत्र के साथ कंटेनर/रेलवे वागण/ट्रक में लॉट करते समय नमूना ले सकते हैं। इस मामले में किसी अलग कंटेनर भराव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नमूना कंटेनर/ट्रकों में परेषित माल लॉट करते समय लिया जाता है। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमरिका, जापान और चीन, सिंगपुर एवं हांगकांग को छोड़कर सभी देशों में साबुत जीरा की परेषित माल के मामले में नमूना ग्रहण प्रमाणपत्र प्रदान करके कंटोनेर भराव की अनुमति है।
- 3.1.13 ईएसएस में नमूनाकरण एवं भराव के विवरण को समय-समय पर अद्यतन करना अभिकरण की जिम्मेदारी है।
- 3.1.14 प्रयोगशाला से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, नमूना प्राप्ति डेस्क ईएसएस में विश्लेषण की अंतरिम रिपोर्ट अपलोड करेगा। तैयार विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर, निर्यातक ईएसएस के माध्यम से कंटेनर भराने के लिए सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम होगा, तदनुसार बोर्ड ऑलान से सर्वेक्षकर्ताओं को सौंपेगा, जिसे निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- 3.1.15 सर्वेक्षण उस परिसर का दौरा करेगा जहां कंटेनर भराव की तारीख एवं समय पर नमूनाकरण लिया गया था और नमूना लेने के समय लॉट /लॉटों पर रखी स्टॉक सील को हटा देगा और माल को कंटेनर/ट्रक में लॉट किया जा सकता है। सर्वेक्षण कस्टम सील संख्या एवं कंटेनर संख्या का अद्यतन करेगा और खुले ट्रक में माल लॉट करने के मामले में ट्रक संख्या का भी अद्यतन करेगा। यदि नमूनित लॉट में छेड़छाड़ पाई जाती है, तो भराव की अनुमति नहीं दी जाएगी और संबंधित नमूना प्राप्ति डेस्क को तुरंत ही सूचित किया जाना चाहिए।
- 3.1.16 अभिकरण तालिका-2 में उल्लिखित संबंधित नमूना प्राप्ति डेस्क को नमूना सौंप देगा। कुछ मामलों में, बोर्ड अभिकरण द्वारा लिए गए नमूनों को बोर्ड की निकटतम निर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजने के लिए कोरियर अभिकरणों के साथ व्यवस्था करेगा, बशर्ते कि नमूनाकरण अभिकरण के निकटतम प्रयोगशाला/न.मू.प्र या निकटतम कार्यालय/डीपो प्रयोगशाला से 100 कि.मी से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जिन जगहों में बोर्ड की कोई निर्दिष्ट कोरियर अभिकरण नहीं है, संबंधित नमूना अभिकरण बोर्ड की निकटतम प्रयोगशाला में नमूने भेजने के लिए प्रतिष्ठित कोरियर फर्मों के साथ व्यवस्था करेगी। कोरियर के माध्यम से नमूना भेजने के लिए किए गए खर्च की प्रतिभूति बोर्ड द्वारा नमूनाकरण अभिकरण को दी जाएगी।
- 3.1.17 संभावित नमूनाकरण स्थान एवं इसके निर्दिष्ट एस आर डी का विवरण तालिका-2 में उल्लिखित है।

स्थान	निर्दिष्ट न.मू.प्र	नमूना सौंपने की समयसीमा
कोच्ची बंदरगाह, वल्लारपाडम् सीएफएस, कोलेनचेरी, कोच्ची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोतमंगलम, आलुवा, अंगमाली, त्रिशूर, थोडुपुळा, कोट्टयम, आलेप्पी (<100कि.मी)	कोच्ची	उसी दिन में
पालक्काड़, कोयंबतूर, इडुक्की (>100कि मी)	कोच्ची	अगले कार्य दिवस सुबह 10 बजे
कोयंबतूर (>100कि मी)	कोच्ची	-do-
<100कि मी	चेन्नई तूतिकोरिन बैंगलोर	उसी दिन में
>100कि मी	चेन्नई तूतिकोरिन बैंगलोर	अगले कार्य दिवस सुबह 10 बजे

3.1.18 संबंधित राज्य विभागों के प्रचलित सार्वजनिक परिवहन शुल्क के आधार पर नमूने लेने और भराव कार्य करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड की अनुमोदित दर के अनुसार परिवहन शुल्क का अतिरिक्त प्रभार का भुगतान किया जाएगा। स्थान के लिए लागू परिवहन शुल्क की गणना 100 कि.मी से अधिक दूरी के लिए की जाएगी। (उदाहरण के लिए, यदि बोर्ड के संबंधित कार्यालय/न.मू.प्र/गु.मू.प्र या नमूनाकरण अभिकरण के निकटतम कार्यालय/डीपो से 130 कि.मी की दूरी से नमूना लिया जाता है, तो परिवहन प्रभार केवल 30 कि मी के लिए ही लागू है, जो भी कम हो।) “परिवहन प्रभार केवल उन नमूनाकरण/भराव स्थान के लिए लागू है जो संबंधित न.मू.प्र/गु.मू.प्र या नमूनाकरण अभिकरण के कार्यालय/डीपो, जो भी निकट हो, से 100 कि.मी से अधिक दूर है।” ऐसे मामलों में बोर्ड द्वारा किसी भी कोरियर की व्यवस्था नहीं की जाएगी या कोरियर प्रभार की प्रतिपूर्ति अभिकरण को दी जाएगी।

3.1.19 लोट को एक विशेष बीजक के प्रति गंतव्य के प्रति निर्याक के समान मसाला उत्पाद के 25 टन या उससे कम के रूप में पारिभाषित किया जाता है। एक ही परेषित माल के समान उत्पाद के प्रत्येक अतिरिक्त 25 मेट्रिक टन को अतिरिक्त लोट के रूप में माना जाएगा। साबुत जीरा के मामले में 29.5 टन को एक लोट के रूप में माना जाएगा और बंगलादेश, नेपाल, म्यान्मर और भूटान में ट्रक द्वारा भेजी जाने वाले परेषित माल के लिए 30 टन को एक टन के रूप में माना जाएगा। समान परेषित माल के विभिन्न मसाला उत्पादों को अलग-अलग लोट माना जाएगा। प्रत्येक लोट को एक विशिष्ट लोट संख्या द्वारा पहचान लिया जाएगा जो निर्यातकों द्वारा अपने नमूनाकरण सूचना में प्रदान की जाएगी।

3.1.20 प्रत्येक लोट से नमूने के चार सेट लिया जाना है, जिनमें से तीन सेट स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित न.मु.प्र में भेजना चाहिए और एक सेट संबंधित निर्यातक को सौंपना चाहिए। युनाइटेड किंगडम में परेषित माल के मामले में, पाँच सेट लेना चाहिए जिनमें से चार नमूने को स्पाइसेस बोर्ड में भेजा जानी आवश्यक है। यूरोपीय संघ के लिए अपेक्षित परेषित माल के लिए सभी मसालों के लिए ईटीओ अनिवार्य है और नीचे बताए गए के अनुसार नमूना लिए जाएंगे। यदि समान मसाला उत्पादों से मिश्रित नमूने लिए जाते हैं, तो उन्हें केवल एक नमूने के रूप में माना जाएगा। नमूना लेने का विवरण तालिका 3 में वर्णित है-

तालिका : 3

देश/मसाला	एल एस 1	एल एस 2	ए एस 1	ए एस 2	ए एस
ईयू, साबुत और पिसे हुए मसालों के लिए	500 ग्रा.	लागू नहीं	500 ग्रा.	500 ग्रा.	500 ग्रा.
यू के, साबुत मिर्ची और मिर्ची पाउडर के लिए	250ग्रा.	250ग्रा.	500 ग्रा.	500 ग्रा.	500 ग्रा.
ईयू, ईटीओ के लिए सभी मसाले	100ग्रा.	लागू नहीं	100ग्रा.	100ग्रा.	100ग्रा.
यूएसए, साबुत और पिसे हुए मसालों के लिए	500 ग्रा.	लागू नहीं	500 ग्रा.	500 ग्रा.	500 ग्रा.
अन्य देश, साबुत और पिसे हुए मसाले	350ग्रा.	लागू नहीं	350 ग्रा.	350 ग्रा.	350 ग्रा.
एसडीसी के लिए नमूना	250ग्रा.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	250ग्रा.

3.1.21 नमूनाकरण प्रक्रिया में, निर्यातक प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से नमूना के पैकिंग और सीलिंग का साक्षी बनना होगा और नमूनाकरण टैग में मोहर के साथ उनका/उनकी हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए।

3.2 नमूनाकरण अभिकरण को भुगतान की निबंध

3.2.1 सूचना में उल्लिखित बोटों के अनुसार लोट के आधार पर नमूनाकरण अभिकरणों के नमूनाकरण प्रभार का भुगतान किया जाएगा। प्रति लोट के लिए केवल एक नमूनाकरण प्रभार का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त लोट से नमूनाकरण को अतिरिक्त नमूनाकरण प्रभार (मिश्रित

नमूनों को छोड़कर जिसमें नमूने लिए जाते हैं और विभिन्न लोच संख्या वाले विभिन्न उत्पादों से मिश्रित किया जाता है, उन्हें एकल नमूने के रूप में माना जाएगा।) के रूप में माना जाएगा। हालांकि, परेषित माल के मामले में जहाँ ईटीओ नमूनाकरण शामिल हैं, दर को अलग से उद्धृत किया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा एक दिन में नमूने के स्थान से लिए गए पहले नमूने को पहले नमूने के रूप में माना जाएगा और उसी दिन लिए अन्य सभी नमूनों को अतिरिक्त नमूने के रूप में माना जाएगा, चाहे निर्यातक कोई भी हो।

3.2.2 प्रति कंटेनर भराव पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया जाएगा। यदि अलग-अलग लोट का नमूना एक ही कंटेनर में लोड किया जाता है, तो केवल एक भराव पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि एक से अधिक निर्यातकों के परेषित माल एक ही कंटेनर (एलसीएल) में होती है, तो केवल एक भराव पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

3.2.3 अभिकरण सत्यापन के लिए नमूनाकरण/भराव पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रारूप में एक मासिक समेकित विवरण प्रस्तुत करेगी और स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय से पुष्टि होने पर, बिलों को मासिक आधार पर सत्यापन के लिए स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

3.2.4 अभिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय द्वारा पुष्टि किए गए समेकित विवरण के आधार पर नमूनाकरण, भराव और परिवहन प्रभार के लिए उत्पन्न जीएसटी बीजक वास्तविक नियमों के अनुसार हो। बीजक निम्नलिखित तरीके से तैयार किए जाएंगे:

- क) नमूनाकरण/भराव दरों के साथ लागू जीएसटी।
- ख) परिवहन प्रभार के साथ लागू जीएसटी।
- ग)) कोरियर प्रभार के साथ लागू जीएसटी (जहाँ भी लागू हो)

भुगतान करते समय बोर्ड लागू टीडीएस में कटौती करेगा।

3.2.5 जीएसटी बीजक के साथ, अभिकरण को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक महीने में लिए गए नमूनाकरण और भराव कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता मानदंड

क) तालिका : 4

क्रम सं	पात्रता मानदंड	प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेजों का विवरण
1	भागदारी फर्म को कस्टम बोली लगाने के समय पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों से परिचालन में होना चाहिए।	पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान फर्म को जारी किए गए कार्य आदेश

	कृषि वस्तुओं के नमूने लेने के काम में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए जिसमें एक सरकारी संगठन शामिल होना है।	
2	भागीदारी फर्म भारत में पंजीकृत एक स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म या निजी लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी, होना चाहिए। फर्म का पीएएन और जीएसटी संख्या होनी चाहिए। साझेदारी विलेख और/या समझौता ज्ञापन और संगठन का अनुच्छेद। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 2022-23, और 2023-24) के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र लाभ और हानि खाता (CA प्रमाणित) जमा किया जाना है।	साझेदारी विलेख और/या समझौता ज्ञापन और संगठन का अनुच्छेद।
3	औसत वार्षिक टर्नओवर : अभिकरण का औसत वार्षिक टर्नओवर 2.00 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22-23-24, और 2023-24) के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र लाभ और हानि खाता (सीए प्रमाणित) जमा किया जाना है।
4	भागीदारी फर्म के पास आईएसओ 9001:2015 और/ या आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रमाणीकरण होना चाहिए (खंड सं 7.3 सहित, नमूनाकरण	प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ
5	भागीदारी फर्म का कम से कम पाँच परिचालन कार्यालय होने चाहिए जिन्हें वे उद्धृत करना चाहते हैं और सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ उप कार्यालय प्रमुख नमूना और भराव क्षेत्रों में उपलब्ध होना चाहिए।	कार्यालयों के स्वामित्व दस्तावेजों/पट्टा/किराए का अनुबंध की प्रतियाँ।

ख) आवश्यक कार्यालयों का विवरण तालिका :5

क्रम सं.	क्षेत्र	आवश्यक कार्यालय/उप कार्यालय
1	केरल	तिरुवनन्तपुरम, पालक्काड़ और कोच्ची
2	तमिल नाडु, पोंडिचेरी और कर्नाटक	चेन्नई कांचीपुरम, तूतिकोरिन, ईरोड़, सेलम, कोयम्बतूर, बैंगलूर

5. अन्य आवश्यकताएँ

- 5.1.1 अभिकरण का प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक पर्यवेक्षी स्तर का कर्मचारी होना चाहिए जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री की न्यूनतम योग्यता हो। क्षेत्र अधिकारी की योग्यता प्लस टू/हायर सेकेंडरी में न्यूनतम उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- 5.1.2 क्षेत्र कर्मचारी के नाम, फोटो, योग्यता के प्रमाण में प्रमाण पत्र की प्रति और पहचानत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र) को नमूनाकरण/भराव कार्य सौंपने से पहले अधिकृत अभिकरण द्वारा सत्यापन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभिकरण नमूनाकरण/भराव पर्यवेक्षण के लिए क्षेत्र कर्मचारी को पहचान पत्र भी जारी करेगी। नमूनाकरण/भराव के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र अभिकरण द्वारा बोर्ड के संबंधित कार्यालय से एकत्र किया जाएगा। नमूनाकरण/भराव पर्यवेक्षण के लिए सौंपे गए क्षेत्र कर्मचारी को पहचान पत्र और प्राधिकरण लेना होगा।
- 5.1.3 नमूनाकरण/भराव अभिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्षेत्र कर्मचारी को दिया जा रहा है। बोर्ड नमूनाकरण अभिकरणों द्वारा श्रमिक नियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को मासिक आधार पर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
- 5.1.4 यदि सर्वेक्षणकर्ता नमूनाकरण/भराव के लिए नए क्षेत्र कर्मचारी को नियुक्त करता है, तो अभिकरण द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें मास्टर प्रशिक्षक से या स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि, क्षेत्र कर्मचारी का बार-बार बदलना स्पाइसेस बोर्ड के हित के विरुद्ध है और सर्वेक्षण द्वारा जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए। इसके अलावा अभिकरण के पास इस गतिविधि में लगे सभी नमूनाकर्ता और पर्यवेक्षकों के लिए बीमा संरक्षण होना चाहिए। यदि फर्म को नमूनाकरण/भराव के लिए चयनित है, तो नमूनाकरण अभिकरण को नमूनाकरण/भराव शुरू करते समय क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए लिए गए बीमा संरक्षण का प्रकार प्रस्तुत करना होगा।
- क) अभिकरण को सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
- ख) नमूनाकर्ता एवं निरीक्षकों को ऑनलाइन/ईनेल और मोबाइल ऐप के माध्यम से नमूनाकरण और भराव रिपोर्ट अद्यतन करने के साथ-साथ ऑनलाइन के माध्यम से दस्तावेज़ और प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदान करने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए।
- 5.1.5 अभिकरण के पास आईटी उपकरण, निर्दिष्ट क्षेत्रों के तहत प्रत्येक राज्य में न्यूनतम 250 sq.feet जगह वाले कार्यालय सहित आवश्यक स्वामित्व/पट्टे पर दी गई अवसंरचना सुविधा होनी चाहिए।

सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए इंटरनेट सहित लैपटॉप/कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन आदि उपलब्ध होना चाहिए।

5.1.6 अभिकरण के पास सर्वेक्षकर्ताओं द्वारा ली गई नमूनाकरण और भराव की वास्तविक काल प्रक्रिया को खींचने के लिए एक मोबाईल एप्लिकेशन सुविधा रख सकती है और इसे सत्यापन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिकरण को निगरानी के लिए बोर्ड को इस तरह के एप्लिकेशन को जांच करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

5.1.7 उद्धृत दर दो साल की अवधि के लिए विधिमान्य होनी चाहिए। किसी क्षेत्र के लिए चयनित अभिकरण को दो साल के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में तालिका 6 में दिखाई गई राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

5.1.8 सर्वेक्षणकर्ता की अनुपस्थिति में अभिकरण द्वारा नमूनाकरण तिथि को स्थगित किए बिना वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.2 **प्रदर्शन गारंटी:** सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी को प्रदर्शन गारंटी के रूप में माना जाएगा।

तालिका: 6

क्रम सं.	क्षेत्र	संबंधित स्पाइसेस बोर्ड के प्रयोगशालाएँ	बैंक राशि गारंटी
1	केरल	गु.मू.प्र कोच्ची/तूतिकोरिन	रु .7,37,000/-
2	तमिल नाडू, पोंडिचेरी और कर्नाटक	गु.मू.प्र चेन्नई/तूतिकोरिन	

5.3 प्रत्येक क्षेत्र में नमूनाकरण की मूल्यांकन करने वाले बोर्ड के कार्यालयों का विवरण तालिका 7 में दिया गया है।

क्रम सं.	क्षेत्र	संबंधित कार्यालय/नमूना प्राप्ति डेस्क (एसआरडी)	संपर्क विवरण
1	केरल	एसआरडी कोच्ची	ईमेल: sampling.sb-ker@gov.in फोन: 0484 2333610 (Ext 327/251)
2	तमिलनाडु, पोंडिचेरी और कर्नाटक	प्रादेशिक कार्यालय चेन्नई	ईमेल: sbrochenलागू नहीं।@gmail.com फोन: : 044 27921342 /27923450
		प्रादेशिक कार्यालय तूतिकोरिन	ईमेल: sbrotcn2012@gmail.com

		फोन: : 0461-2391485
	प्रादेशिक कार्यालय बैंगलूर	ईमेल: spicesboard.blr@gmail.com फोन: : 080-26767335

6. निबंधन व शर्तें

- 6.1.1 संविदा प्रदर्शन के आधार पर न्यूनतम दो साल के लिए विधिमान्य होगा और उसी निबंधन व शर्तों पर विस्तार किया जाएगा।
- 6.1.2 कार्य सौंपे जाने से पहले अभिकरण का अवसंरचना, सॉफ्टवेयर सुविधाएँ और जनशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।
- 6.1.3 स्पाइसेस बोर्ड, अपने विवेक पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक नमूना अभिकरण को शामिल करने या बिना किसी सूचना दिए किसी भी नमूनाकरण अभिकरण की सेवाएँ समाप्त करने का निर्णय लेगा।
- 6.1.4 अभिकरण द्वारा नमूना एकत्र न करना या बोर्ड द्वारा निर्धारित नमूनाकरण और भराव में विलंब के अलावा इस सूचना के बिंदु 12(जुर्माना) में उल्लिखित दंड को आकर्षित करेगा।
- 6.1.5 निर्यात समर्थन प्रणाली(एसआरडी), एक ऑनलाइन वेब परिचालित प्रणाली है, जो नमूनाकरण और भराव पर्यवेक्षण और एसडीआर/विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। प्रणाली खराब होने की मामले में, ऑफ-लाइन संचालन पर विचार किया जाएगा लेकिन ऑनलाइन प्रणाली को बाद में अद्यतन किया जाएगा।
- 6.1.6 प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक अभिकरणों की संख्या तालिका 8 में वर्णित है।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक अभिकरणों की संख्या

क्रम सं	क्षेत्र	आवश्यक कार्यालय/उप कार्यालय	प्रत्येक अभिकरण द्वारा पर्यवेक्षक की न्यूनतम संख्या	अभिकरण से आवश्यक नमूनाकर्तों की न्यूनतम संख्या
1	केरल	तिरुवनन्दपुरम और कोच्ची	1	8
2	तमिलनाडु, पोंडिचेरी और कर्नाटक	चेन्नई, कांचीपुरम	2	8
		तूतिकोरिन	1	2
		ईरोड़, सेलम, कोयम्बतूर	1	2
		बैंगलूर	1	2
	कुल		6	22

7. बोलियों की प्रस्तुतीकरण:

7.1

- 7.1.1 स्पाइसेस बोर्ड के पास प्रस्तुत की गई किसी भी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
- 7.1.2 कस्टम बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल या संभावित बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, कस्टम बोली दस्तावेज़ में संशोधन कर सकते हैं।
- 7.1.3 कस्टम बोली में किसी भी संशोधन को स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित करके बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा और यह उन पर बाध्यकारी होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक से कस्टम बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
- 7.1.4 आवेदक को कस्टम बोली प्रस्तुत करने से पहले इसमें संशोधन या किसी परिवर्तन के लिए स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट देखना आवश्यक है।
- 7.1.5 बोली में भाग लेने वाले भारत में पंजीकृत फर्मों को बोली जीईएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- 7.1.6 बोलीदाता को एमएसएमई बोलीदाता को छोड़कर बयाना जमा के लिए 7,37,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसकी समान स्कैन की गई प्रति विक्रेता द्वारा ऑनलाइन बोली में अपलोड की जाएगी और इसकी हार्ड कॉपी सीधे खरीदार को बोली खोलने की पाँच दिनों के अंतर प्रस्तुत करनी होगी। एमएसएमई के लिए ईएमडी में छूट को 'बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।'
- 7.1.7 भागीदारी फर्मों को ईएमडी के बदले **संलग्नक- II** के तहत दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

8. पूर्व-बोली बैठक

- 8.1.1 बोर्ड कोच्ची के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित करेगा (तारीख धारा 10 में दी गई कस्टम बोली की अनुसूची देखें)
- 8.1.2 इस बैठक का उद्देश्य लिखित रूप में बोली प्रस्तुत करने से पहले उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर स्पष्टीकरण, संदेह, मुद्दों और प्रश्नों का उत्तर देना है।
- 8.1.3 संभावित विक्रेता दो (2) प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं।

9.0 बोली मूल्यांकन:

9.1 प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दो-चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद वित्त बोली मूल्यांकन. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नामित बोली मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोली की जांच के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो, बोर्ड द्वारा दिए गए समय को भीतर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी या सभी दस्तावेजों को तीसरी पक्ष को संदर्भित करके भी सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र है। तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, वित्त बोलियाँ खोली जाएगी।

तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को कीमत बोली खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

9.2 चरण 1 तकनीकी मूल्यांकन बोली के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड

9.2.1 बोलीदाता को अपनी तकनीकी और वित्त बोली के विचार एवं मूल्यांकन के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ कस्टम बोली में उल्लिखित पूर्व योग्यता बोली के प्रत्येक मानदंड को पूरा करना होगा।

9.2.2 बोलीदाता को इस बोली के जारी होने की तारीख से तीन महीने से पहले बैंक शोधन क्षमता प्रमाणत्र जमा करना आवश्यक है।

9.2.3 इस दस्तावेज के माध्यम से कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करने में योग्य एवं अनुभवी कार्मिक होना चाहिए।

9.2.4 खाद्य उत्पादों, कृषि या संबंध क्षेत्रों और/या खाद्य परीक्षण या परीक्षण प्रयोगशालाओं और/या अनुसंधान और विकास संगठन में नमूनाकरण एवं भराव का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष की अवधि होनी चाहिए।

9.2.5 उपरोक्त आदेशों के लिए संबंधित क्रेता संगठन द्वारा जारी संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

9.2.6 किसी भी सरकारी अभिकरण द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवेदन के साथ एक वचनबंध प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9.3 चरण 2 तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुति

9.3.1 पूर्व-योग्यता/पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के अगले चरण में जाने के लिए योग्य माना जाएगा और उन्हें स्पाइसेस बोर्ड में आकर मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

9.3.2 बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित संपूर्ण मानदंड की प्रस्तुति के अनुसार आनुपातित आधार पर तकनीकी अंक दिए जाएंगे।

तकनीकी योग्यता	प्राचल	कट ऑफ	अधिकतम अंक
पिछले तीन सालों का औसत टर्नओवर	2.00 करोड़ रुपये से अधिक	10	20
समान प्रकार के कार्य में परियोजना अनुभव	3 से अधिक	10	15
वैध आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रत्यायन (खंड संख्या 7.3, नमूनाकरण सहित) प्रमाणपत्रों के साथ खाद्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता		15	15
जिस क्षेत्र में उद्धरण करना चाहते हैं, वहाँ परिपालित कार्यालयों तथा नमूनाकरण और भराव क्षेत्रों में सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ उप कार्यालय उपलब्ध होना चाहिए ।	5 से अधिक	10	20
इस क्षेत्र में जनशक्ति की कुल संख्या	30 से अधिक	5	10
प्रस्तुतीकरण *	प्रस्तुतीकरण में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूनाकरण विधि सहित कार्य माँडल, स्पाइसेस बोर्ड की सेवा के लिए समर्पित जनशक्ति का विवरण, कंपनी का प्रोफाइल और समान प्रकृति के कार्यों को संभालने में पिछला अनुभव आदि का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए	10	20
कुल		60	100

* बोर्ड द्वारा दिए गए सूचि के अनुसार प्रस्तुतीकरण न देने पर बोली को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

9.3.3 स्पाइसेस बोर्ड बोली प्रक्रिया के दौरान बिना कोई कारण बताए, जो भी हो, और बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना दिए बिना किसी भी समय मूल्यांकन प्रक्रिया को परिवर्तित/संशोधित करने का अधिकार है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड किसी भी या सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उन बोलीदाताओं के साथ आगे कोई चर्चा/अंतरापृष्ठ नहीं किया जाएगा जिनकी बोलियाँ तकनीकी रूप से अयोग्य/अस्वीकृत हैं।

9.4 तकनीकी बोली का मूल्यांकन

- 9.4.1 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन इस दस्तावेज़ में ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 9.4.2 यह देखा जा सकता है कि तकनीकी बोलियों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राचल इस अनुबंध की आवश्यकताओं के संबंध में पिछले अनुभव, परियोजना दृष्टिकोण और कार्य योजना की प्रकृति एवं प्रासंगिकता पर आधारित होंगे।
- 9.4.3 जो बोलीदाताएँ 60% उससे अधिक तकनीकी अंक प्राप्त करती हैं, उन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जाएगा।
- 9.4.4 केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोलियाँ आगे की प्रक्रिया के लिए खोली जाएँगी।
- 9.4.5 संलग्नक IV के तहत निर्धारित प्रारूप में वांछित तकनीकी जानकारी।
- 9.4.6 प्रपत्र संलग्नक V के अनुसार मूल्य/वित्त बोली

9.5 वित्त बोली का मूल्यांकन

- 9.5.1 तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्त बोलियाँ खोली जाएँगी।
- 9.5.2 सबसे कम वित्त बोली (एल 1) वाले बोलीदाता को 100% काम दिया जाएगा।
- 9.5.3 सबसे कम बोली का निर्णय मूल्य प्रारूप के अनुसार विशिष्ट बोलीदाता द्वारा उद्धृत न्यूनतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
- 9.5.4 इस बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी वितरणयोग्य और सेवाओं के लिए केवल कुल कीमत दर्शाने वाले निश्चित मूल्य वाली वित्त बोलियों पर विचार किया जाएगा।
- 9.5.5 बोली मूल्य में सभी कर और शुल्क शामिल हैं और यह केवल भारतीय रुपये में होगा।
- 9.5.6 त्रुटियाँ और सुधार अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा “यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई लागत और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य को सही माना जाएगा और कुल मूल्य शुद्ध किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में लिखी राशि को सही माना जाएगा।
- 9.5.7 बोलियों का मूल्यांकन और तुलना : तकनीकी मूल्यांकन के लिए 70% वेटेज और वित्त मूल्यांकन के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा।
- खंड 9.3.2 में दिए गए स्कारिंग मॉडल के अनुसार अधिकतम 100 अंकों में से तकनीकी स्कोर (टीएस) दिया जाएगा।

वित्त स्कोर को 100 के स्केल में सामान्य किया जाएगा, साथ ही कम स्कोर को 100 तक सामान्य किया जाएगा और बाकी को यथानुत आधार पर दिया जाएगा। इस तरह के सामान्यीकृत स्कोर को क्यूसीबीएस आधारित मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा, जिसका स्पष्टीकरण नीचे दिए हैं।

9.5.8 अंतिम मूल्यांकन मानदंड-क्यूसीबीएस: प्रत्येक बोलीदाता वित्तीय स्कोर को नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है:

T_s = तकनीकी स्कोर

$F_n = (F_{min}/F_b) \times 100$ (Rounded off to 2 decimal places)

F_n = विचाराधीन बोलीदाता के लिए सामान्यीकृत वित्त स्कोर

F_b = विचाराधीन बोलीदाता के लिए पूर्ण वित्त उद्धरण (पहले नमूनाकरण के लिए)

F_{min} = वित्त बोली खोलने के लिए पात्र बोलीदाता के लिए न्यूनतम पूर्ण वित्त मूल्य

9.5.9 समग्र स्कोर = $T_s \times 0.70 + F_n \times 0.30$

10. संपर्क व्यक्ति

आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क बिंदु निम्नलिखित होगा

क) सामान्य मामलों के लिए फोन संख्या 91-484-2333610 पर उप निदेशक श्री एम. मणिकंदन के विस्तार संख्या 235 या उनके ई-मेल manikandhan.m@nic.in पर संपर्क करें।

बोली का तारीख और समय	05.08.2024 को 15:00:00 घंटे
पूर्व बोली बैठक	21.08.2024 को 14:30:00 घंटे (ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों में)
बोली बंद करने की तारीख और समय	27.08.2024 को 11:00:00 घंटे
बोली खुलने की तारीख और समय	27.08.2024 को 11:30:00 घंटे
प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय	ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

11. सरकार की खरीद तरजीह नीतियाँ

कस्टम बोली दस्तावेज़ में दी गई विवरण के अनुसार, प्राधिकरण को विभिन्न सरकारी नीतियों/निदेशकों (मेक इन इंडिया, एमएसएमई, स्टार्ट-अप आदि) के अधीन पात्र बोलीदाताओं को तरजीह देने का अपना अधिकार है।

12 जुर्माना

नमूनाकरण समय सारणी (नमूनन करने में देरी) लेने में चूक के मामले में, बोर्ड द्वारा प्रति दिन कुल कस्टम बोली लागत के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक अवसर अधिकतम 10 प्रतिशत हो। बोर्ड को किसी भी मामले में देरी के कारण हुए नुकसान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

12. माध्यस्त

परिणामी अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। यदि पक्षकारों द्वारा स्वयं समाधान संभव नहीं हैं, तो मामला स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और अनुबंध के दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

13. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

13.1 इस अनुबंध का अर्थ और व्याख्या, और पक्षकारों के बीच संबंध अभी के लिए भारत के कानून द्वारा शासित होगा।

13.2 डेलीवरी के स्थान, या प्रदर्शन के स्थान या अनुबंध के अधीन भुगतान के स्थान के बावजूद, अनुबंध उस स्थान पर किया गया माना जाएगा जहाँ से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए, या एलओए के अभाव में अनुबंध संविदा) जारी किया गया हो। ऐसे स्थान की अदालतों को ही अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में किसी भी विवाद पर निर्णय लेने क्षेत्राधिकार होगी।

14 विकल्प मात्रा खंड

यदि अनुबंध में स्पष्ट आह्वान किया गया है, तो प्राधिकरण उचित सूचना और अनुरूप डेलीवरी अवधि देकर, किसी भी समय अनुबंध की अंतिम वितरण तिथि तक, उसमें निर्दिष्ट प्रतिशत (या 25% यदि निर्दिष्ट नहीं है) तक आदेशित मात्रा को बढ़ाने या कम करने का अधिकार होगा, भले ही आदेशित मात्रा की आपूर्ति डेलीवरी अवधि की अंतिम तिथि से पहले पूरी तरह से की गई हो।

15. बल

15.1 किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे, अप्रत्याशित घटना के घटन होने पर, अनुबंध की मुद्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली सेवाओं के वितरण में सीधे हस्तक्षेप करना, जैसे युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मन के कार्य, नागरिक शोरगुल, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंधों, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पक्षकार इसके आरंभ होने के एक सप्ताह के अंतर्गत, उचित प्रमाण के साथ दूसरी पक्षकार को लिखित रूप में सूचित करेगा। जब तक प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में निर्देश नहीं दिया जाता है, तब तक ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगा जहाँ तक उचित रूप से व्यवहार्य है और प्रदर्शन के लिए सभी उचित

वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा जो बल दुर्घटना से बाधित नहीं है। यदि ऊपर उल्लिखित आकस्मिक बल की शर्त (शर्तें) किसी भी समय 90 दिनों या उससे अधिक समय के लिए लागू होती है, तो किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष को लिखित रूप में 14 दिनों का नोटीस देकर ऐसी आकस्मिक बल की शुरुआत के 90 दिनों की समाप्ति पर अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा। इस तरह की समाप्ति के मामले में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा नहीं किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो इस तरह की समाप्ति से पहले इस अनुबंध के किसी अन्य खंड के तहत हुए थे।

15.2 कोई भी पक्ष अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में दूसरे पक्ष के विलंब और/या विफलता के लिए इस तरह के किसी भी उपचार या हानि की मांग नहीं करेगा यदि यह बलपूर्वक दुर्घटना की परिणाम है तो।

स्थान : एर्नाकुलम (केरल)

तारीख : 05/08/2024

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार के लिए और की ओर से
(बी.एन.झा)
निदेशक (विपणन)